JALAUN POLICE

दिनांक – 10.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त आशीष द्विवेदी पुत्र सुरेन्द्र द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होना तथा गैंग बनाकर अवैध असलाहों से लैस होकर आमजनमानस को डरा धमका कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 79/24 (वाद संख्या- 13/24) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 10.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी/ईसी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त आशीष द्विवेदी को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय– कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त शाहरूख उर्फ शानू पुत्र सत्तार नि0 ग्राम देवपुरा कोतवाली कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 252/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 10.07.2025 को मा0 न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शाहरूख उर्फ शानू उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।